**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 387

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां**

**387. श्री देरेक ओब्राईनः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 17.6 प्रतिशत और सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 15.7 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं जिससे स्कूली स्तर पर 10 लाख से अधिक रिक्तियां हो गई हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा कराये गये किसी आंतरिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष के अनुसार भारत में स्कूली स्तर पर 4 लाख अतिरिक्त अध्यापक हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और (घ) इन विरोधाभासी आंकड़ों के क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): प्राथमिक और माध्‍यमिक स्‍तर पर सरकारी स्‍कूलों में शिक्षकों की वर्तमान स्‍थिति निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **स्‍तर** | **शिक्षकों के स्‍वीकृत पद**  | **वर्तमान में शिक्षक** | **शिक्षकों के रिक्‍त पद** |
| **प्रारंभिक** | **5103539** | **4203223** | **900316** |
| **माध्‍यमिक** | **685895** | **578206** | **107689** |

(ख): शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र (यूटी) सरकार के क्षेत्राधिकारी के तहत आती हैं। तथापि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्र सरकारों से शिक्षकों के रिक्‍त पदों को भरने और उनकी विवेकपूर्ण तैनाती का अनुरोध करता रहा है जिसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है। इसके अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सरकार समग्र शिक्षा के केन्‍द्रीय प्रायोजित काय्रक्रमों के माध्‍यम से स्‍कूल के विभिन्‍न स्‍तरों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार उपयुक्‍त छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्‍त शिक्षकों की तैनाती के लिए राज्‍य सरकारों और संघ राज्‍यक्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

(ग): मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(घ): प्रश्‍न नहीं उठता।

**\*\*\*\*\*\***